झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
दशम् (मानसून)सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 09.08.2017 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	सर्वश्री योगेन्द्र प्रसाद, पौलुस सुरीन एवं श्री निरल पुरती स0वि0स0	बोकारो जिला के गोमिया प्रखण्ड अन्तर्गत टी0टी0पी0एस0 ललपनिया के तृतीय श्रेणी में 49 पदों के लिए तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड, मुख्यालय राँची द्वारा रोजगार सूचना संख्या-02/2016 एवं पत्रांक संख्या-901/16-17, दिनांक- 21.09.2016 को विज्ञापन लिकाला गया है। जो बिहार सरकार ऊर्जा विभाग के संकल्प संख्या-प्र0-3/तेनु-01/84-519, दिनांक- 09.03.1987 के क्रम संख्या- 04, खण्ड-(क) के संकल्पानुसार नही है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में टी0टी0पी0एस0 परियोजना से विस्थापित हुए परिवार के डिग्री, डिप्लोमाधारी एवं आई0टी0आई0 बेरोजगारों के नियोजन के लिए कोई कोटा निर्धारित नही किया गया है एवं वर्त्तमान में कार्यरत विस्थापित परिवार के कर्मचारियों के सदस्यों को पदोन्नति एवं नियोजन में प्राथमिकता देने का प्रावधान नहीं किया गया है, जो ऊर्जा विभाग के उक्त संकल्पानुसार नहीं है। अतः मैं परियोजना से विस्थापित हुए परिवारों के डिग्री डिप्लोमाधारी, आई0टी0आई0 बेरोजगारों एवं वर्त्तमान में कार्यरत विस्थापित परिवार के कर्मचारियों के सदस्यों को पदोन्नति एवं नियोजन में प्राथमिकता देने के औचित्य पर सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहते है।	ऊर्जा

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
02-	सर्वश्री दीपक बिरूवा, जगरनाथ महतो एवं श्री कुणाल षड़ंगी स0वि0स0	राँची विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में 51 शिक्षक कार्यरत है उक्त शिक्षकों का सेवा सामंजन वास्तविका तिथि से प्रदान करने हेतु राँची विश्वविद्यालय सिंडिकेट एवं सीनेट से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर महामहिम कुलाधिपति के पास स्वीकृति हेतु दिनांक-22.04.2014 को प्रेषित किया गया और महामहिम के पत्रांक- RU/19/05 पार्ट नं0- 2721/GS दिनांक- 28.12.2015 द्वारा परिनियम संशोधन की स्वीकृति प्रदान करते हुए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार को उस पर समुचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया, किन्तु एक वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कार्रवाई अपेक्षित है, जिससे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों को प्रोन्नति एवं अन्य सुविधाओं से वांछित है। अतएव जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों को उपर्युक्त संशोधित परिनियम के अनुरूप सेवा सामंजन कराने हेतु सदन से माँग करते है।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
03-	श्री राधाकृष्ण किशोर स0वि0स0	वर्ष 2002 में स्थापित श्रेष्ठ चिकित्सा केन्द्र के रूप में राजेन्द्र आर्युविज्ञान संस्थान (रिम्स) की स्थिति कुप्रबंधन के कारण चरमराई हुई है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रिम्स को वर्ष 2009-10 में विभिन्न सर्वोच्च विशेषता वाले विभागों के लिए 262 उपकरण/सयंत्र उपलब्ध कराया गया। 10.68 करोड़ की लागत से उपलब्ध कराये गये उक्त उपकरणों में से 191 उपकरण/सयंत्र 2016-17 तक अधिष्ठापित नहीं किया गया। फलस्वरूप यह सभी उपकरण बेकार हो गये । विदित है कि 94 हजार प्रतिमाह वेतनमान पर अवकाश प्राप्त प्रोफेसर को ही प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि हड्डी, आँख, मनः चिकित्सक, ई0एन0टी0 रेडियोलॉजी, शिशु रोग व स्त्री रोग विभाग में अनुबंध पर नियुक्त प्रोफेसर कर्त्तव्य पर उपलब्ध नहीं रहते है।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

		रिम्स में कार्यरत विभिन्न स्तर के अधिकांशत चिकित्सक नॉन-प्रेक्टिसिंग एलाउंस भी प्राप्त करते हैं और प्राईवेट प्रेक्टिस भी करते हैं। रोगियों को दिए जाने वाले आहार की स्थिति अत्यंत ही खराब है। पाक गृह में साफ-सफाई की व्यवस्था इतनी प्रदूषित है कि रोगियों के संदुषित (Contaminated) आहार दिए जाते हैं। मैं रिम्स में व्याप्त लचर व्यवस्था को दूर करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
04	सर्वश्री निर्भय कुमार शाहाबादी, ग्लेन जोसेफ गॉलस्टीन एवं श्री जय प्रकाश सिंह भोगता स०वि०स०	दिनांक-25/08/2016 एवं दिनांक-04/04/2017 को दैनिक भास्कर, रांची के DB स्टार में प्रकाशित शीर्षक 200 करोड़ के अस्पताल भवनों को अधुरा छोड़कर भागे इंजीनियरों को बचा रहे डीसी एवं स्वास्थ्य अफसरों की लापरवाही से सरकार पर पड़ा 250 करोड़ रूपए का अतिरिक्त बोझ के आलोक में कहना है कि वर्ष-2007-08-09 से दिसम्बर 2016 तक विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के साथ-साथ अभियन्तओं व ठीकेदारों के गठजोड़ में रिवाइज स्टीमेट के खेल में राज्य के स्वास्थ्य निदेशालय भवन के निर्माण कार्य के साथ-साथ विभिन्न जिलों जैसे-रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, पलामू, चतरा सहित कई अन्य जिलों में अस्पताल भवनों के निर्माण कार्य की योजनाओं से संबंधित राशि-200(दो सौ) करोड़ रूपयें की विभिन्न योजनओं को 600(छः सौ) करोड़ रूपयें राशि कर एवं 150/-(एक सौ पचास) कारोड़ रूपये राशि की विभिन्न योजनाओं 400/-(चार सौ) करोड़ रूपये की राशि कर रूपयों की बंदरबांट कर ली गई। क्योंकि कई उक्त भवनों के निर्माण कार्य को सम्बंधित अभियन्ताओं ने जान-बुझकर बन्द कराकर स्टीमेट रिवाइज का खेल खेली गई जिसमें करोड़ो-करोड़ रूपये राशि की खेल हुई है। इतना-ही नहीं स्वास्थ्य विभाग का अभियंत्रण सेल बन्द हो जाने के कारण राज्य के कई जिलों में अभी भी कई अस्पताल भवनों का कार्य अधूरा पड़ा है। साथ-ही- साथ कई अभियन्ताओं ने तो उक्त अभियंत्रण सेल के बन्द होने पर अपनी सेवा अन्य विभागों में कराकर कार्रवाई से बचते फिर रहे है। क्यों नहीं सरकार उक्त सभी दोषी अभियन्ताओं को चिन्हित कर सभी की चल-अचल सम्पत्ति की उच्च स्तरीय जाँच कराते हुए गबन की गई राशि की वसूली उक्त अभियन्ताओं के वेतन से की जाये ? अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान उक्त गंभीर मामले की ओर आकृष्ट कराना चाहेंगे।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

05	श्री शिवशंकर उराँव, स0वि0स0	झारखण्ड राज्य के गुमला जिला को अति संवेदशील उग्रवादी प्रभावित जिला माना जाता है। उक्त जिले में उग्रवाद को नियंत्रित कर विकास कार्यो को दुरुह इलाके तक विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकार फोकस एरिया प्लान के तहत् योजनाओं का क्रियान्वयन का लक्ष्य तय किया है। इस फोकस एरिया प्लान के तहत् सड़क मार्ग निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रथम चार मार्ग RR-II(LWE) के तहत् स्वीकृत एवं DPR तैयार है जो क्रमश–1 चैनपुर नौमाई–जैरागी पथ लम्बाई–28.81 कि0मी0, 2– भिखमपुर–जारी–मेराल पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य, लम्बाई 20.81 कि0मी0, 3– चैनपुर– करुमंगढ़– कोटाम– घाघरा पथ, लम्बाई– 41.93 कि0मी0 एवं 4– जोड़ाजाम उपर खमान–पालकोट पथ लम्बाई– 19.80 कि0मी0 है। साथ ही साथ लम्बे समय से तीन प्रमुख व अतिआवश्यक मार्ग क्रमशः 1– गुमला– बांसडीह– कांसीर पथ, लम्बाई– 24.465 कि0मी0, 2– करमडीपा एन0एच0–23 से कार्तिक उराँव महाविद्यालय को जोड़ने वाला मार्ग लम्बाई– 3.50 कि0मी0 एवं 3– माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित शहीद नयमन कुजूर मार्ग कुरुमगढ़ से परसा पथ तक पुलों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य विस्तृत परियोजना प्रस्ताव CDO से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर अग्रेतर प्रशासनिक स्वीकृति की बाट जोह रहा है। अतः मैं क्षेत्र की जनता की कठिनाईयों के मद्देनजर लोक हित में सरकार से आग्रह करता हूँ कि उपर्युक्त सभी पथों के निर्माण में समस्त कार्यवाही पूरी करके बरसात के बाद कार्य प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त करें।	पथ निर्माण

राँची,
दिनांक– 09 अगस्त, 2017 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ0उ0

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-44/2017-2383/वि0 स0, राँची, दिनांक- 08/08/17

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ ऊर्जा विभाग/उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग एवं पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/8/2017

(एस0 शिराज वजीह बंदगी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-44/2017-2383/वि0 स0, राँची, दिनांक- 08/08/17

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

8/8/2017

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

8/8/17